


भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षा समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।</p>	<p>धार जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत टाण्डा-बोरी मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 0.78 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सङ्क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने की अनुशासा की जाती है।</p>
----	--	---

तिथि:- 13 / 07 / 2022
 स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.G.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal